उत्तर प्रदेश विद्युत निर्माण बोर्ड
पंजाबवाड़ी पारिश्रमिक, हैदराबाद, मध्यप्रदेश (M.P.) - 462016
ee-mail : mnand117@gmail.com

(ई-आपसिलेट (प्रवदा) नियम, 2016)

हंगामी एवं गंगाश्रीकृषि उपकरणों के उपकरण (Producer), ब्रांड नामी (Brand Owners), आयमवाद (Importers) को ई-आपसिलेट (प्रवदा) नियम, 2016 के अनुसार विविध स्तर उपकरण दाता प्रभावित (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रदान के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वेबसाइट स्थानीयता प्राप्त करता है। इस ई-आपसिलेट (प्रवदा) नियम, 2016 एवं उल्लिखित नियम 51(4)(i) के प्रश्नात्मक अनुसार डेटल हेतु हंगामी एवं गंगाश्रीकृषि उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उत्पादों की दी पूर्वोत्तम प्रदान करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-आपसिलेट (प्रवदा) नियम, 2016 के तहत विविध स्तर उपकरण दाता प्रभावित (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्राप्त-1 में कंपनी प्रमुख निर्देशक बोर्ड में आवेदन करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्रबन्ध प्राप्त-1 में अनुसार समस्त स्तर उपकरणों का प्रदान करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अनुसार उपकरण (Producer), ब्रांड नामी (Brand Owners), आयमवाद (Importers) के अधिकृत एवं स्वतंत्र फॉर्मेट, ई-आपसिलेट (प्रवदा) नियम, 2016 के अनुसार विविध स्तर उपकरण की श्रेणी के अनुसार तथा निर्देशित करती है कि अनुसार कोई उपकरण निर्माता (Producer) की प्रदान के लिए इस नियम-1 में अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्रदान करने का इच्छार्थ है। निर्माता (Producer) को इस नियम-1 में अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्रदान करने का इच्छार्थ है।

05/04/2020

मध्यप्रदेश राज्य-पारित कानून, 1976 के अनुसार नियम-1 में अनुसार इस नियम-1 में अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्रदान करने का इच्छार्थ है।
मध्यप्रदेश वेगळू नियम बोर्ड
परिवार परिसर, ई-3, औरेगा कालीनी, भोपाल (प्र. )-462016
फोन नो. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2465742
E-mail : hsmd117@gmail.com
क्रमांक 1059 / प्रविठता / बोर्ड / 2020
भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैद्यकृत सूचना
(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

हालस्थित एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पादक दातिया प्रशिक्षक (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैद्यकृत सूचना दी जाती है कि ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम II[(a)](a) के प्रावधान के अनुसार शेडू-1 में इलाकों इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उत्पादों को End of life इंडी करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत वित्तीय उत्पादक दातिया प्रशिक्षक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए शेडू-1 में केंद्रीय दृष्टिकोण निर्देशन बोर्ड में आवेदन करना एवं नियम-V में उल्लिखित प्रवधान अनुसार समस्त उत्पादकों का पता करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अपना उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) के अंतर्गत संबंधित केंद्र, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार वित्तीय उत्पादक दातिया के अनुसार आपको अनुसार तंत्रज्ञ को माध्यम दृष्टिकोण निर्देशन बोर्ड से नियम-II[(a)](a) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता अनिवार्य है।

मानवीय राजीव स्वापन अभियान (प्रोग्राम), यह रिपोर्ट द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया: OA No. 512/2018. सैनिक सेवा मिशन रिपोर्ट और यु.पी. व सैना में पारित आवेदनों के प्रसारण मध्यप्रदेश तथा में लिखा इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners)-आयातकों (Importers) आदि की निर्देशन किया जाता है कि केंद्रीय दृष्टिकोण निर्देशन बोर्ड से ई-नेट (प्रवधान) नियम, 2016 के प्रवधान अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने वाले उत्पादक, प्रशिक्षण अपने (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) आदि के आवेदन प्रस्तुत करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने पर उनके वित्तीय प्रवधान (संबंधित) अधिनियम, 1986 के अनुसार वित्तीय उत्पादक दातिया प्रशिक्षक की जानकारी।

ई-नेट (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण बोर्ड की वायुदूती वेबसाइट http://www.mppcb.aic.in/ewasteng.htm पर उपलब्ध है।

सदस्य सचिव
05/04/2020
(ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016)

इस्तेमालीय एवं इस्तेमालकर्ता के उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) को ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विभागीय उपकरण प्रतिष्ठान (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रदान के लिये आवश्यक प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक सुसंवर को संबंधित कहा जाता है कि ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016 में संशोधित नियम 6(1)(d) के प्रदर्शन के अनुसार शेड्यूल-1 में अधिनियम इस्तेमालीय एवं इस्तेमालकर्ताओं के विभागीय (Producer) को उपकरण की एंड ऑफ लाइफ होने पर पुनः संशोधन करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विभागीय उपकरण प्रतिष्ठान (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिये प्रश्न-1 में केंद्रीय प्रदर्शन विभाग्य को अवश्यक करने एवं नियम-5 में संशोधित प्रतिष्ठान अनुशंसा संबंधित उपकरणों का पालन करना आवश्यक है। Extended Producer Responsibility Authorization अथवा उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) के अधिनियम संबंधित, ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार संशोधन की क्षेत्रीय के अनुसार आयक हैं तथा निरीक्षण को अनुसार तत्वावधारणा प्रदर्शन विभाग्य को नियम-6(2) के अनुसार प्रतिष्ठान प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

महाराष्ट्र राज्य सर्वेक्षण (प्रदर्शन), यह दिनों देखा प्रतिष्ठान प्रदर्शन क्रमक OA No. 512/2018 राज्य सर्वेक्षण विभाग, स्थान पू. प. एवं अन्य में विभागीय उपकरणों के पालनार्थ अनुसार उपकरण प्रतिष्ठान के उपकरण (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners)-आयातकों (Importers) अधिनियम की निरीक्षण किया जाता है कि केंद्रीय प्रदर्शन विभाग्य कोई ई-आपैशित्र (प्रबंधन) नियम, 2016 में प्रदर्शन के अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने मध्यस्थ प्रदर्शन विभाग्य ब्रांड स्वामी को अपना करने है। उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) आदि उपकरण आवश्यक एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने मध्यस्थ प्रदर्शन विभाग्य ब्रांड स्वामी को अपना करने है। http://www.mppch.nic.in/ewaste.html पर प्राप्त है।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
पवारकर पत्ता, हैदराबाद, बीएना (रा.)-462016
tele : (0755)-2646428, 2646191, Fax : (0755)-2468742
E-mail : hsmdd117@gmail.com
भागां 1052/प्रानिकों/ज.म.म.2020
सोलह, दिनांक 02.01.2020

वेदानिक सूचना
(ई-अंप्लांट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-प्रबंधक एवं ई-संयंत्रक कार्यकर्ताओं के उपयोगकर्ता (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयंकारिक (Importers) को ई-अंप्लांट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्योग दायित्व प्राप्तिकर (Extended Producer Responsibility Authorization) श्रद्धालु के लिए आवश्यक प्रतिष्ठा रखने हेतु वेदानिक सूचना की जाती है।

ई-प्रबंधक (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 5(4) के प्राधान्य के अनुसार ई-प्रबंधक एवं ई-संयंत्रक कार्यकर्ताओं के लिए निर्देशित (Producer) को उनके उद्योग की End of Life होने पर पुनः संरक्षण करना अनिवार्य है। इसके लिए उनकेई-प्रबंधक (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट उद्योग दायित्व प्राप्तिकर (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए राहत-1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में आवेदन करना एवं उपयोग-5 में उल्लिखित प्राधान्य अनुसार सभी उद्योग कर्ताओं का पालन करना अनिवार्य है।

Extended Producer Responsibility Authorization अथवा उद्योग (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयंकारिक (Importers) के अंतर्गत स्तर-1,ई-प्रबंधक (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार निपटावकर्ता की श्रेणी के अनुसार अन्तर्गत जाते हैं जिनकी निपटावकर्ता के माध्यम से उपयोग-5(2) के अनुसार डूब भोजन निर्देशित (Producer) को लिए जाता है।

मानवीय सामग्री हृदय प्रत्यक्ष (पृष्ठली) वर्ग द्वारा प्रशिक्षित प्रक्रिया का अंतर्गत OA No. 512/2018 राजस्थान समिति विभाग अभियांत्रिक एवं जनता में भाग लेने के गठबंधन मध्यप्रदेश जनता में लित होने उद्योगकर्ता एवं ई-प्रबंधक कार्यकर्ता के उपयोगकर्ता (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners)/आयंकारिक (Importers) नामकों का निर्देशित भारत जनता के माध्यम से ई-प्रबंधक (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्राधान्य के अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने वाले उद्योग कर्ता (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयंकारिक (Importers) द्वारा आवेदन नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त नहीं होने पर उनके विनिर्देश प्रवाह (संहिता) अनुसार, 1986 के अंतर्गत निपटावकर्ता की जाती है।

ई-प्रबंधक (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं निर्देशित दिशा निर्देशित (Producer) की निर्दिष्ट विवरण बोर्ड की कला नीति संबंधी वेबसाइट अवश्य है।

http://www.mppeb.nic.in/ewastaging.htm

प्रस्तुत संदेश

र.प. मास्टर्स-96326-2020
कार्यक्रम 1082/प्रबंध/व-स.-2020
भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैश्विक सूचना

(ई-अपहस्त (प्रबंध) नियम, 2016)

इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकों (Importers) के ई-अपहस्त (प्रबंध) नियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्देशित उपकरण सूची प्रारंभिक (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैश्विक सूचना दी जाती है कि ई-अपहस्त (प्रबंध) नियम, 2016 के अंतर्गत नियम 5(1)(d) के प्रकार के अनुसार श्रेणी-1 में अवश्यक होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निरीक्षण (Producer) की उपकरण का End of life होने पर पुनः उपयोग करने अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपहस्त (प्रबंध) नियम, 2016 के तहत विनिर्देशित उपकरण सूची प्रारंभिक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रस्तुत-1 में कृत्रिम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में आवेदन करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्रावधान अनुसार समस्त उपकरणों का पालन करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अनुसार - उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकों (Importers) के अधिकृत प्रबंधक संगठन, ई-अपहस्त (प्रबंध) नियम, 2016 के अनुसार निरीक्षण की श्रेणी के अनुसार जाने जाने विनिर्देशक की मात्राएं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से नियम-8(2) के अनुसार निरीक्षण प्रारंभ किया जाता अनिवार्य है।

प्रसून राष्ट्रीय हरित अधिकृत (एकीकृत), नई दिल्ली में प्रविष्ट प्रकाश नंबर OA.No.512/2018 इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपकरण (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकों (Importers) आदि को निरीक्षित किया जाता है कि कृत्रिम प्रदूषण नियंत्रण नीति से ई-पेरेंट (प्रबंध) नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने मात्राएं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से भेंट करने का अनुमति प्राप्त करें। उपकरण (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकों (Importers) के अधिकृत प्रबंधक संगठन, 1986 के अनुसार निर्धारित वैश्विक सूची को जारी करें।

ई-पेरेंट (प्रबंध) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों का हिस्सा नियंत्रण व्यवस्था की कार्यान्वयन वेबसाइट http://www.mppch.nic.in/ewasteng.htm
पर उपलब्ध है।

सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश मामला 96326/2020
वैधानिक सूचना

(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योगकर्ता (Producer), प्राइड स्लेन (Brand Owners), आयागिक (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपकरण दर्शन प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए योग्य है जो द्वारा लिखित नियम, 2016 में उल्लिखित अंक (HENO स) के प्राधिकार के अनुसार शुरु हुआ था। में अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्राधिकार (Producer) की उनके उपकरण की End of life होने पर पूरा संबंध धारा अनुवर्त उपकरण के लिए नेतृत्व के संदर्भ में अपने प्रदान करने एवं विनियम-5 में उल्लिखित प्राधिकार अनुसार समापन उपकरणों का प्राधिकार करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization स्रोत उद्योग (Producer), प्राइड स्लेन (Brand Owners), आयागिक (Importers) के अंक (HENO स) के अनुसार नियम, 2016 के अनुसार प्राधिकार की लेखनी अनुसार जाने वाले उपकरणों के माध्यम से नियम-8(2) के अनुसार प्राधिकार करना जाता है।

पाण्डूरमण स्नातक अंक (प्रदानक), नाम दिली द्वारा प्राधिकार प्रमाण कार्यक्रम OA No. 312/2014 द्वारा लिखित नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपकरणों के प्रदान करने के उद्योगकर्ता (Producer), प्राइड स्लेन (Brand Owners), आयागिक (Importers) का प्राप्त करने के लिए नियम, 2016 के अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने संबंधित प्राधिकार नियम, 2016 के अनुसार उपकरण की अनुसार उपकरण के उद्योगकर्ता (Producer), प्राइड स्लेन (Brand Owners), आयागिक (Importers) द्वारा हासिल करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने के प्राधिकार प्राधिकार (प्रदानक) अनुसार, 1986 के अनुसार नियमादर्श धारा अनुसार प्राधिकार करने की आवश्यकता है।

ई-नेट (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार ब्यूटी बस्करण उपकरण की सार्वजनिक वेबसाइट http://www.mppecb.nic.in/e-waste.htm पर उपलब्ध है।

भ.प. माधव-96320/2020

सदस्य सचिव
वैयानिक सूचना
(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)
बिहार राज्य सरकार, प्रयोजनों के उत्पादक (Producer), ब्रूज स्वामी (Brand Owners), आयुक्त (Importers) वा ई-आपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्देशित उत्पादक विभाग (Extended Producer Responsibility Authorization) मार्ग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु व्यापक सूचना है। तथा 16(1)(a) के मार्ग के अनुसार आयुक्त अथवा आयुक्त के विपरीत स्वामी (Producer) का व्यक्ति प्राप्त की एडफ करने पर पुनः भेजेंगे कर्म अंतर्गत है। उसके लिए उन्हें ई-आपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्देशित उत्पादक विभाग (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रकाश में दर्शाईया वार्षिक अनुसार एडफ करने पर निवेदन करने अंतर्गत है। Extended Producer Responsibility Authorization अनुमान विद्यमान (Producer), ब्रूज स्वामी (Brand Owners), आयुक्त (Importers) के अधिकारी तथा संबंधित, ई-आपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार विनिर्देशित उत्पादक का निवेदन के अंतर्गत है। अन्तः सरकार विभाग अनुसार विनिर्देशित उत्पादक विभाग के 8(2) के अंतर्गत निर्माण उत्पाद का एडफ करने अंतर्गत है।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार (प्रबंडन), नई दिल्ली उत्पादक क्षेत्र में OA No. 512/2015 नं. 71 ग्रामिक विभाग अंतर्गत के प्रशासन में प्रबंधक एवं विभाग (Producers), ब्रूज स्वामी (Brand Owners), आयुक्त (Importers) का एडफ करने पर प्रशासन निर्देशित विनिर्देशित (Extended Producer Responsibility Authorization) श्रेणी के उत्पादक विभाग के अनुसार निवेदन करने अंतर्गत है।

प्रबंधन (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत लिखित विनिर्देशित विभाग तथा प्रशासन विभाग के एडफ करने का विनिर्देशित विभाग तथा https://www.mppch.nic.in/en/. उपलब्ध है।

सदस्य स्वामी

05/01/2020
इवैशनल यूनियन, 2016
केलकूट एवं इवैशनल उद्योगों के उद्योग (Producer), ब्रांड मार्केट (Brand Owners), अयोग (Importers) को ि-अपरिश (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए तपास और उनके उद्योगों के निर्माता (Producer) को उनके उद्योगों को End of Life होने पर एक संदर्भ करना अनिवार्य है। इससे लिए उन्हें इ-अपरिश (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए निर्माता (Producer), ब्रांड मार्केट (Brand Owners), अयोग (Importers) एवं अयोग (Importers) के लिए इवैशनल यूनियन (Extended Producer Responsibility Authorization) या निर्माता (Producer) को उनके उद्योगों को उद्योगों का एक संदर्भ करना अनिवार्य है।

मानवीय गतिविधि प्रतिवेदन (रिपोर्ट), वगैरह क्रिया प्रबंधन प्रक्रम OA No. 512/2016 तथा निर्माता ब्रांड मार्केट (Producer), ब्रांड मार्केट (Brand Owners), अयोग (Importers) और अयोग (Importers) के लिए इवैशनल यूनियन (Extended Producer Responsibility Authorization) तथा उद्योग (Producer), ब्रांड मार्केट (Brand Owners), अयोग (Importers) द्वारा अपने निर्माता (Producer), ब्रांड मार्केट (Brand Owners), अयोग (Importers) के लिए इवैशनल यूनियन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने पर उनके ब्रांड मार्केट (Producer) को उनके उद्योगों को उद्योगों का एक संदर्भ करना अनिवार्य है।

http://www.mppecb.nic.in/ewasteng.htm पर उपलब्ध है।

म.प. माल्साण-04/326-2020
१५८, झांसी, राजस्थान, 321001

E-mail: hsmld117@gmail.com
(ई-एप्सिट (प्रबंधन) नियम, 2016)

वर्तमान में ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 के अंतर्गत उत्पादन प्रवर्तक (Producer), ब्रांड लेली (Brand Owners), आयोग (Importers) को ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 के अंतर्गत उत्पादन प्रवर्तक (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने उत्तरदायी उपदेश द्वारा उत्तरदायी बनाने की जाती है कि ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 में उल्लूपीडिया 31(6) में नियुक्ति प्राप्त करने वाले उत्पादन के अनुसार देशवासी एवं ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 में विशेष रूप से उत्तरदायी उत्पादन प्रवर्तक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रमाण-1 में केंद्रीय प्रशासन नियुक्ति भरी एवं पुनःप्रमाणित नियुक्ति भरोसपूर्ण उपदेश द्वारा उत्तरदायी बनाने के अनुसार उपभोक्ताओं का पालन करने का अधिकार है। 

ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 में उल्लूपीडिया 31(6) में नियुक्ति प्राप्त करने के अनुसार उत्पादन प्रवर्तक (Producer), ब्रांड लेली (Brand Owners), आयोग (Importers) को ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 के अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने के अनुसार उत्पादन प्रवर्तक (Product) नियम, 2016 में नियुक्ति प्राप्त करने के अनुसार उत्पादन प्रवर्तक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रमाण-1 में केंद्रीय प्रशासन नियुक्ति भरी एवं पुनःप्रमाणित नियुक्ति द्वारा उत्तरदायी बनाने के अनुसार जनता का पालन करने का अधिकार है।

सामान्यतः एक उपभाषित अधिनियम (एपीएसई), यह नियम द्वारा प्रवर्तक प्रमाण (प्रमाण) 512/2018 ई-एप्सिट नियम (ईपीएसई) भूमिका में प्रवर्तक द्वारा उत्पादन प्रदूषण (Environmental) एवं ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 में अन्तर्गत उपभोक्ताओं की नियुक्ति द्वारों का प्राप्ति करने के अनुसार उत्पादन प्रवर्तक (Product) द्वारा पुनःप्रमाणित नियुक्ति द्वारा उत्तरदायी बनाने को केंद्रीय प्रशासन नियुक्ति की नियुक्ति के लिए ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 के अनुसार उत्पादन प्रवर्तक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रमाण-1 में केंद्रीय प्रशासन नियुक्ति भरी एवं पुनःप्रमाणित नियुक्ति द्वारा उत्तरदायी बनाने के अनुसार जनता का पालन करने का अधिकार है।

ई-एप्सिट (ईपीएसई) नियम, 2016 एवं उत्तरदायी उपदेश (उपदेश) का उत्तरदायी बनाने की सामान्यता बनाने के लिए वेबसाइट http://www.mpph.nic.in/ewasteng.htm पर प्रकाशित है।

सामान्यता नियम 90325/2020

दिनांक 05/01/2020
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परिवहन बोर्ड, ई-5, ऑरा कार्यालय, भोपाल (म.प.) - 462016
फोन नं.: (0755) 2464425, 2460191, फॅक्स: (0755) 2465742
E-mail: hsm@mp.gov.in

भाषा: हिंदी, विकल्प 02.01.2020

लेखात्मक सूचना
(ई-अधिसूचना) नियम, 2016

इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक. उपकरणों के उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातक (Importers) को इ-अधिसूचना (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 के अंतर्गत वितरित उद्देश्य, दायित्व प्रदान करना (Extended Producer Responsibility Authorization) ग्राहक के स्वयं अपने साथ करने हेतु वैश्विक क्षेत्र से ही जाता है कि ई-अधिसूचना (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 में अंलाइन नियम 5(1)(d) के प्रवर्तन के अनुसार संदर्भ 1 में वापसीमुक्त इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माता (Producer) की उपरी उपलब्धि की पूर्व की अंतिम परिस्थिति तथा एक लाइफ रोहन पर पुनः शंखन करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अधिसूचना (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 के अंतर्गत वितरित उद्देश्य, दायित्व प्रदान करना (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए संदर्भ 1 में केन्द्रीय प्रभाव निवेदन वारी में अपूर्व करना एवं संदर्भ 3 में वितरित वादित्व अनुसार संदर्भ करने का पालन करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अधिसूचना (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातक (Importers) के अधिकृत संकेत देने, ई-अधिसूचना (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 के अनुसार दायित्व प्रदान की गेहूं के अनुसार तथा एवं वितरित करने की मास के अधिकृत प्रभाव निवेदन वारी के संदर्भ 5(2) के अनुसार प्रदान करने का विनिर्देश जाता है।

माननीय राज्यसभा सदन (संसद), नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित प्रकार आधिकारिक OA No. 512/2018 तथा वित्तीय वित्त बोर्ड और यू.ए.सी. व अन्य में पारित आदेशों के पालन के अधिकृत प्रभाव निवेदन वारी में दायित्व इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मामले (Producers), ब्रांड स्वामियों (Brand Owners), आयातक (Importers) की निर्देशित जानकी जाता है कि केन्द्रीय सूचना निवेदन वारी के संदर्भ 7 में वितरित (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 के प्रवर्तन के अनुसार उपरी उपलब्धि करना (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने मास के अधिकृत प्रभाव निवेदन वारी की अपना करना। उद्देश्य (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातक (Importers) द्वारा प्राप्त करने एवं एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने पर उपरी उपलब्धि अधिकृत (संशोधन), अधिनियम, 1986 के अनुसार निवेदित कृतियों की जाता है।

ई-अधिसूचना (ई-अधिसूचना) नियम, 2016 एवं संवर्धन विदेश विदेश का विनिर्देश निर्देशन वारी की मास के अधिकृत प्रभाव वारी के संदर्भ http://www.mppcb.mp.gov.in/ewasteng.htm पर प्रकाशित है।

म.प. मामला/96325-2020

विभाग पात्र

विभाग सचिव

म.प. 05/01/2020
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परामर्श परिषद, हैदराबाद, सौराष्ट्र (म.स.), 420016
फॉक्स न.: (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2463742
E-mail: hsmart17@gmail.com
रणनीति को 1032 / रणनीति / स.स. / 2020 मेघा, विनाकित 02.01.2020

वैयाक्षिक सुनामी
(ई-अप्रिस्पष्ट) प्रकाशित, 2020)

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016
de संबंधित उपकरणों (Producers), ब्रांड आदेश (Brand Owners), अधिकारी (Importers) द्वारा ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं। ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पষ्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।

ई-एप्रिस्पष्ट (ई-एप्रिस्पष्ट) नियम, 2016 के लिए अपरीत वेतन प्रदान करने से संबंधित वैयाक्षिक सुनामी दो जहाँ हैं।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पदार्पण, परिसर, डी-५, ओरेंज कोलोनी, भोपाल (म.स.)-462016
केंद्र न. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : hsnid117@gmail.com
संख्या 1092 / प्रविष्टी / ज.स. / 2020
भोपाल, दिनांक 02.01.2020

(ई-अपशांत (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशांत एवं ई-अपशांत के उपकरण के प्रदर्शक (Producer), आयक (Importers) को ई-अपशांत (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत स्थानीय उपकरण के प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए अपने प्रदूषण सन्मान के अंतर्गत स्थानीय उपकरण के प्रबंधन के लिए (Producer) का दावा करने के लिए एक दृष्टि तथा दृष्टि को देखा जाना उनकी दृष्टि की दृष्टि में आदेश करना है।

Extended Producer Responsibility Authorization के लिए प्रबंधन के लिए अपने प्रदूषण सन्मान के प्रबंधन के लिए (Producer) का दावा करने के लिए एक दृष्टि तथा दृष्टि को देखा जाना उनकी दृष्टि की दृष्टि में आदेश करना है। Extended Producer Responsibility Authorization के लिए प्रबंधन के लिए अपने प्रदूषण सन्मान के प्रबंधन के लिए (Producer) का दावा करने के लिए एक दृष्टि तथा दृष्टि को देखा जाना उनकी दृष्टि की दृष्टि में आदेश करना है।

मध्यप्रदेश सरकार अधिकार (आयक), नहीं होती हर ग्रस्त प्रदूषण प्रकाश OA No. 512/2018 रिचर्ड के लिए ऐसा देना बाध्य है। व अन्य विषयों नियम द्वारा इसके अंतर्गत स्थानीय उपकरण के प्रबंधन (Producers), आयक (Importers) के सम्बन्ध में स्पष्टतः इसी के अंतर्गत स्थानीय उपकरण के प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रबंधन के लिए (Producer) का दावा करने के लिए एक दृष्टि तथा दृष्टि को देखा जाना उनकी दृष्टि की दृष्टि में आदेश करना है।

ई-प्रबंधन (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं सम्पूर्ण दिनांक निम्नलिखित का विस्तार विवरण

http://www.mppcb.mp.nic.in/ewasteng.htm

प्रदयन पत्र

नतीजा 2020
(ई-अपराइट) (प्रबन्धन) नियम, 2016

इलेक्ट्रीकरण एवं इलेक्ट्रीकरणीय उपकरणों के उत्पादक (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), अपाराइटर (Importers) को ई-अपराइट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अंतर्गत विबंधित उत्पादक दलित प्रवतिष्कर (Extended Producer Responsibility Authorization) वित्ति के लिए अपारित मुद्रित करने हेतु वैधिक सुनिता दी जाती है कि ई-अपराइट (प्रबन्धन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 5(1)(d) के प्रवतिष्कर के अनुसार तेव्र-1 में अधिकृत इलेक्ट्रोलैक एवं इलेक्ट्रीकरणीय उपकरणों के उत्पादक (Producers) को उनके उत्पाद की End of life होने पर पूरा साक्षात करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपराइट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत विबंधित उत्पादक दलित प्रवतिष्कर (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रवतिष्कर-1 में कंट्री प्रौद्योगिकी नियमक विधेयक में आवेदन करना एवं नियम-6 में उल्लिखित प्रावधान अनुसार समाप्त उस्तादियों का पास करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अभियोजक (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), अपाराइटर (Importers) के अधिकृत सबसे छोटा ई-अपराइट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अनुसार विविध वित्ति की बैंकों के अनुसार अदालत सथ रूप से कंट्री प्रौद्योगिकी नियमक विधेयक के नियम 5(1)(d) के अंतर्गत विनियम प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

महानगर स्थित अभियोजक (प्रबन्धन), नई दिल्ली द्वारा प्रशासनिक प्रवतिष्कर क्रमिक OA No. 512/2018 श्रेणी में विमल टैंड अपफ शामिल है अथवा विमल टैंड को दलित प्रवतिष्कर के अनुसार बैंक हेंडकॉर्स नियमक विधेयक से मिलाकर ई-वेट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के प्रबन्धन अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization उत्पादक, ब्रांड स्वामी (Brand Owners), अपाराइटर (Importers) द्वारा अपारित करने का एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्रण नहीं होने पर उनके विलक्त प्रवतिष्कर (उत्पादक) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दलित प्रवतिष्कर कार्यवाही की जाएगी।

ई-वेट (प्रबन्धन) नियम, 2016 एवं विभिन्न विशेष नियमों का विभिन्न विनियम के कार्यान्वयन वेबसाइट http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm पर उल्लिखित है।

प्रमुख: माधवमंदी-66326-2020
वैधानिक सूचना
(ई-अपशिष्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट उपकरणों के उपभोक्ता (Producer), ब्राह्मण स्वामी (Brand Owners), अपशिष्ट (Importers) की ई-अपशिष्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 के अनुसार विहनित उपकरण दंतकाल प्रबन्ध (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रति के लिए अनुशासनार्थ गठित करने हेतु वैधानिक सूचना दी जाती है कि ई-अपशिष्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 51(4)(d) के प्रवर्तन के अनुसार शब्दरूप में अधिकृतता इलेक्ट्रॉनिक एवं ई-अपशिष्ट उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उपभोक्ता की End of life होन पर पूर्ण संग्रह वर्तना अधिनियम है। इसके लिए उन्हें ई-अपशिष्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 के तहत विहनित उपकरण दंतकाल प्रबन्ध (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रवर्तन-1 में केंद्रीय प्रदेश विनियम बोर्ड में आवेदन करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्राधिकरण अनुसार समय समय तक अधिनियम का पालन करना अधिकार है। Extended Producer Responsibility Authorization अथवा उपभोक्ता (Producer), ब्राह्मण स्वामी (Brand Owners), अपशिष्ट (Importers) के अधिकृत समिति संरक्षण, ई-अपशिष्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 के अनुसार निर्माता की बॉक्स के अनुसार अंतः निणाशक को आवश्यक उपकरण गिस्मन बोर्ड से गिस्मन-2(2) के अनुसार विनियमण प्रक्रिया किया जाना अधिनियम है।

मानव सार्वजनिक सूचना (प्रचार), इस दिन द्वारा प्रकट किया प्रबन्ध क्रम ग.ए 512/2018 शिक्षा गठित विद्युत एवं सूचना, व अन्य में पारित आदेशों के पालन के बाध्यता मानव सार्वजनिक नियम के डिलीट ई-देस्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 के अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने विहनित उपकरण दंतकाल प्रबन्ध को अनुभूत करने। उपभोक्ता (Producer), ब्राह्मण स्वामी (Brand Owners), अपशिष्ट (Importers) द्वारा अदृश्य नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त नहीं होने पर उन्हें विवेचना (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार निर्माता के वैधानिक कार्ययोजना की जायेगी।

ई-देस्ट (प्रबन्ध) नियम, 2016 एवं संविधान संस्करण का निर्भर विनियमण बोर्ड की वैधानिक विवेचना http://www.mppcb.nic.in/e wasteng.htm पर प्रकाशित है।

म.प. पाल्यम-16526-2020
सदस्य संचाल

राजस्थान स्वाल अधिकार 05/01/2022
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पत्रिका पौरसंहार, हैदराबाद-5, अदिका नगरी, भोजपुरा (म.प.), 462016
फोन नं.: (0755) 2464428, 2466191, फैक्स: 0755-2463742
E-mail: hmpcb117@gmail.com
अंक/संख्या: 1032 /प्राप्तिवर्ष/स./व. 2020
भाषा: हिंदी, दिनांक: 02.01.2020

वैधानिक सुचना
(ई-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016 में अन्तर्गत वित्तीय समर्थन प्रदाता और प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक सुचना की जाती है कि ई-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 5(1)(d) के प्रमाण के अनुसार शेष कार्यों में अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माता (Producer) को उसके उपभोक्ता की शीर्षक प्रान्त में पुर्ण संपर्क करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार वित्तीय समर्थन प्रदाता और प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए प्रमाण-1 में कृत्रिम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्रायोगिक अनुसंधान उपचारीय रूप में प्रायोगिक अनुसंधान पूर्व के अनुसार एवं वैधानिक सुचना की प्रायोगिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियम-8(9) के अनुसार प्रदूषण प्राप्ति करना अनिवार्य है।

सामान्य वस्तुएँ ही अवधारणा (एनैटी), जहाँ विभिन्न प्रान्तों के उपराज्यपालिका और आयुक्त, इ-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016 में पावन अवधारणा के आधार पर वित्तीय समर्थन प्रदाता और प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए प्रमाण-1 में कृत्रिम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन करना अनिवार्य है। इ-अपरिश्चत (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार शेष कार्यों में अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माता (Producer), वित्तीय समर्थन प्रदाता (Brand Owners), आयुक्त (Importers), इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माता (Producer), वित्तीय समर्थन प्रदाता (Brand Owners), सभी अन्य वित्तीय समर्थन प्रदाता और प्रबंधन (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए तपाई दिनों में ई-वेब (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रायोगिक अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करके प्रदूषण प्राप्ति नियंत्रण बोर्ड में स्थापना की अवधारणा करें। उपाध्यक्ष (Producer), वित्तीय समर्थन प्रदाता (Brand Owners), आयुक्त (Importers) द्वारा अवधारणा करने पर Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करके प्रदूषण प्राप्ति नियंत्रण बोर्ड में स्थापना की अवधारणा करें।

ई-प्रबंधन (प्रबंधन) नियम, 2016 में संसाधन विभाग ने विभाग निरीक्षण का विनिमय बैठक को स्वीकार कर दी है। http://www.mppcb.nic.in/easteng.htm
यह उपलब्ध है।

म.प. भाषा/56326-2020

सहाय सचिव

राजस्थानस्थान जयपुर 05/01/2020
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पत्ता: भोपाल-४६३०२६
भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सुनाम
(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं टोकबॉक्स के उपयोग (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकर्ता (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विशिष्ट उपयोग के विषय में प्रदान की गई प्रति (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए गतिविधि अनुसार प्रदान करनी है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 ने तत्कालीन उपयोग दर्शक प्रशिक्षण (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रशंसा-1 में वेबसाइट प्रदूषण नियंत्रण वैधिक को आवंटित करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार वहुल उल्लिखित का पालन करना अनिवार्य है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार एक उपयोग की कंपनी के अनुसार आते हैं:

1. गतिविधि की मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियम-6(2) के अंतर्गत प्रदूषण प्रदाता नियम जानना अनिवार्य है।

2. मानने राहिल तहत अधिनियम (प्रबंधन), नई तकनीकी द्वारा प्रकाशित प्रति (NPI) No. 512/2018 शोध में हिंदी टेक्स्त अक्षु वृत्त, व अन्य में प्रशंसा-1 में वेबसाइट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी एवं इंडस्ट्रीबिज के उपयोग (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners)/आयामकर्ता (Importers) द्वारा प्रदान की गई प्रति वेबसाइट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कार्य करें।

उपयोग (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामकर्ता (Importers) द्वारा अविचार नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने पर उनके विरुद्ध पहलवान (सेफ्टी) आईआईटी, 1986 के अंतर्गत निवारण कार्य करने की जांच हो।

ई-बैंड (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों का पुस्तक निर्माण बोर्ड की वार्ता के वेबसाइट http://www.mppcb.mp.nic.in/ewastreng.htm पर उपलब्ध है।

भोपाल-96326-2089
बेधानिक सूचना

(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के त्रायक(Producer), ब्रांड स्वामी
(brand owners), आयामक (Imports) को सम्बन्धित (ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम
के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Extended Producer
Responsibility Authorization) प्राप्त करना इन्हें पूर्व सूचित करता है।
ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित
विनिमय [1(6)] के प्रावधान के अनुसार अंतर्गत 1 में अधिकृत/अधिकृत एवं
ई-अपशिष्ट, उपकरणों के नियंत्रक (Producer) के उपरोक्त उपकरण के अन्तर्गत
नियंत्रण (Extended Producer Responsibility Authorization) के बजाए
ई-अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Extended
Producer Responsibility Authorization) के बजाए) प्रदाय-1 में केंद्रीय प्रोजेक्ट
नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत 4 में अनुमान करना एवं नियम-5 में उल्लिखित प्रावधान
अनुसार समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रस्ताव करना अनुमान है।

ई-अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक वातावरण के
सम्बन्ध में केंद्रीय प्रोजेक्ट नियंत्रण तथा उपकरण के अनुमान 1/2 के
अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रावधान का अनुमान 1/2 के

प्रकाशित राजस्थान सरकार अधिनियम (ई-अपशिष्ट), नई दिल्ली 2018 अनुसार हर संयुक्त राज्य
एबर्ट पूर्वी. व अन्य 526520/5589589555 में व्यक्ति उसके अधिनियम के
साथ-साथ मान्यता (प्रवर्तन) में शामिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खिलाफ कंपनी
(producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners) और आयामक (Imports) आयकों पर निर्देशित किया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रदाय-2 के अनुसार 526520/5589589555 के

राजस्थान सरकार
05/01/2020
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परवरत परिस्थिति, इंदिरा, अर्जुन काटोलिक, गोवा (पृ.8) - 462016
फोन N. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : bsm117@gmail.com
कार्यक्षेत्र : 10592/निवृत्त/ई.एस. - 2020
भोपाल, दिनांक : 02.01.2020

बैठकीय सूचना
(ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016)

इंडस्ट्रीय एवं इंस्टूटीशनल उपकरणों के उपयोगकर्ता (Producer), ब्रांड वाहनी (Brand Owners), इंटरवेन्टर्स (Importers) की ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार विस्तृत उपयोगकर्ता रिश्ते प्रतिष्ठित (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रणाली के लिए अपेक्षित बनाने के लिए क्रियान्वित सुझाव है जिसे ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 5(16) के प्रवर्तन के अनुसार दर्शाता। 2016 में अधिनियम इस्तेमाल के सूचना एवं बैठकीय सूचना के नियम (Producer) को उपकरण की अनुसंधान पर पूरा संबंधित करना अधिकार है। इसके लिए उन्हें ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत विस्तृत उपयोगकर्ता के सूचना प्रति (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रति - 1 में कंट्रोल और नियंत्रण के लिए नियम-5 में उल्लिखित प्रबंधन अनुसार भुगतान उपकरणों का प्रबंधन करना अधिकार है। Extended Producer Responsibility Authorization के लिए प्रति - 1 में कंट्रोल हेतु नियंत्रण के लिए नियम-5 में उल्लिखित प्रबंधन अनुसार भुगतान उपकरणों का प्रबंधन करना अधिकार है। Extended Producer Responsibility Authorization के लिए प्रति - 1 में कंट्रोल हेतु नियंत्रण के लिए नियम-5 में उल्लिखित प्रबंधन अनुसार भुगतान उपकरणों का प्रबंधन करना अधिकार है।

माननीय गर्दिवी हरे अधिकार (गर्दिवी), नई दिल्ली द्वारा प्राप्त प्रश्न पत्र No 512/2018 नियंत्रण नियम विवेचन स्टेट और पी.सी. व अन्य में शामिल होने के बावजूद इस्तेमाल रोजपीय गर्दिवी में लिखित हेलेकार्ट नए ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार निर्देश वित्तीय कर्म और वित्तीय कर्म को अपेक्षित करने के लिए प्रश्न पत्र No 512/2018 नियंत्रण नियम विवेचन स्टेट तथा प्रश्न पत्र No 512/2018 नियंत्रण नियम विवेचन स्टेट का अन्तर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री ओर इंटरवेन्टर्स (Producer), ब्रांड वाहनी (Brand Owners), इंटरवेन्टर्स (Importers) द्वारा आपेक्षित नहीं करने और Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त नहीं होने पर उनके लिए प्रश्न पत्र No 512/2018 नियंत्रण नियम विवेचन स्टेट का अन्तर्गत किया गया।

ई-आपेक्षित (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संविधानिक विवश्यावधि का नियुक्तियों के लिए संबंधित कार्यक्रम http://www.mppeb.nic.in/ewasteng.htm पर प्रकाशित है।

म.प. माधव - 063526 - 2020

म.प्र. प्रश्न-05/04/2020
बांधकाम समिति ज्ञापन (ई.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016)

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के उत्पादक (Producer), ब्रांड सभी (Brand Owners), ओपरेटर्स (Importers) को ई.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए बांधकाम करना है जिसके लिए इ.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम (3(1)(d)) के प्राधिकार के अनुसार शर्तात 1 में अधिकृतता इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के प्रस्तावित (Producer) को उनके उत्पाद का End of life होने पर पुनः उचित रूप से बांधकाम करना अनिवार्य है।

इसके लिए उन्हें ई.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए पराम 1 में केंद्रीय प्रयोग प्राधिकार वर्गीकरण वर्ग एरिया के आदेश करना एवं नियम 5 में उल्लिखित प्राधिकार अनुसार सम्पत्ति जुनादेवियों का प्राप्त करना अनिवार्य है।

Excluded Producer Responsibility Authorization प्राप्त उत्पादक (Producer), ब्रांड सभी (Brand Owners), औपरेटर्स (Importers) के अनुसार सरकार, ई.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016 के अनुसार किंचित विशेष रूप से ही याचिकाओं के अंतर्गत अलग है, अतः रिपॉर्ट को मध्यस्थ प्रमाण प्रमाणित करने वाले वर्ग के नियम 8(2) के अंतर्गत आविष्कार प्रति किया जाना अनिवार्य है।

प्रांगणी: सभी विभाग सदस्य अधिकारी (राँची) नं. 312/16 नियम प्रश्न प्रमाण 

पूर्व: OA No. 5127/2015 दत्ता 'संशोधन संयुक्त समिति (बहुरा) अनुसार' में प्रमाण प्रमाण व विवरण में शामिल इलेक्ट्राकेल एवं ई.अप्रैल (ब्रांड) नियम, 2016 के प्राधिकार अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने की मांग के प्रयोग निर्देशन वर्गीकरण वर्गीकरण के आदेश करना अवस्था (Producer), ब्रांड सभी (Brand Owners), औपरेटर्स (Importers) द्वारा आदेश करना एवं Extended Producer Responsibility Authorization के अनुसार संदर्भ प्रमाण (संयुक्त) अधिनियम, 1986 के अनुसार निविष्करण बांधकाम कार्यों की जानी।

ई.ब्रांड (ब्रांड) नियम, 2016 एवं संवैधानिक विवरण निर्देशनों का प्रस्तावना वर्ग के कार्यस्थलीय वेबसाइट http://www.mppeb.nic.in/e wasteng.htm पर उपलब्ध है।

न.व. नीलम-106326-2020
वैयानिक सुचना
(ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादक (Producers), ब्रांड लुक (Brand Owners), आयमक (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपयोगकर्ता प्राप्ति (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित सुचना है।

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 5(1)(d) के प्रावधान के अंतर्गत ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपयोगकर्ता प्राप्ति (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए आवेदन-1 में केवल उत्पादन वैध में प्रतिध्वना एवं नियम-2 में उल्लिखित प्रावधान अनुसार समस्त उत्पादकों को प्राप्त करने अनुमय नहीं है। Extended Producer Responsibility Authorization आवश्यक है (Producers), ब्रांड लुक (Brand Owners), आयमक (Importers) के अंतर्गत संचालित विनियम (Extended Producer Responsibility Authorization) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपयोगकर्ता प्राप्ति (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए आवेदन-2 में केवल उपयोगकर्ता प्राप्ति (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए आवेदन करना स्वतंत्र में अनुमय नहीं है।

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अंतर्गत विनियमित उपयोगकर्ता प्राप्ति (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सुचना है:

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अंतर्गत Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने के लिए उत्पादकों को निम्नलिखित कार्य प्राप्त करने होंगे:

- 1. उत्पादक (Producers), ब्रांड लुक (Brand Owners), आयमक (Importers) को निर्देशित किया जाएगा कि केवल उत्पादन वैध में प्रतिध्वना एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के उत्पादकों (Producers), उत्पादक (Importers) आयमक (Importers) आवेदन के लिए निर्देशित किया जाएगा कि केवल उत्पादन वैध में प्रतिध्वना एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के उत्पादकों (Producers), उत्पादक (Importers) आयमक (Importers) को आवेदन करने' में Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्राप्त करने होंगे:

- उत्पादक (Producers), ब्रांड लुक (Brand Owners), आयमक (Importers) को आवेदन नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization प्राप्त नहीं करने पर उनके विनियम (प्रबन्धन) अंतर्गत, 1994 के अंतर्गत विनियमित विनियम को निर्देशित किया जाएगा।

ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 में संबंधित दिना विस्तारुक है जिसके संबंध में नियम को कार्यान्वयन वेबसाइट http://www.mppeb.nic.in/westeng.htm पर उपलब्ध है।

म.प. मार्गम-96929-2020

राजकीय सिद्धांत

05/01/2020
वैधानिक सूचना

(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट एवं होलोडक्टन उपकरणों के उद्यमक (Producer) राज्य सरकार (Brand Owners) आचार्य एवं आयोगी (Importers) को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारण उपकरण दायित्व विधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त के लिए आवेदन दर्ज करने हेतु वैधानिक सूचना है। जानिए कि ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 51(4)(d) के प्राधिकार के अनुसार ई-अपशिष्ट एवं होलोडक्टन उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उपकरणों को End of Life होने पर पुनः स्थापना करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत विस्तारण उपकरण दायित्व विधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रस्तुति-1 में केंद्रीय प्रबंधन निवेशक वाहनों में अविवेक मानना एवं नियम-3 में उल्लिखित प्रबंधन अनुसार समस्त उपकरणों का पालन करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अनुसार उद्यमक (Producer), राज्य सरकार (Brand Owners), आयोगी (Importers) के अधिकारी संबंधी सेंटर, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार विनिमय की क्षमता के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण प्रबंधन निवेशक वाहनों से नियम-5(2) के अनुसार समस्त उपकरणों का पालन करना अनिवार्य है।

महानगरीय राज्यों और एवं अन्य राज्यों, नहीं दिखी द्वारा प्रकटित मानक O&A No. 512/2018 द्वारा स्थापित विनिमय सेंटर से अर्थ प्रदान करने के सरकार के केंद्रीय प्रबंधन निवेशक वाहनों को उद्यमक को उनका कार्य कराना। उपकरण (Producer), राज्य सरकार (Brand Owners), आयोगी (Importers) के अनुसार नहीं करने के Extended Producer Responsibility Authorization अनुसार पुनः होने पर उनकी विक्रय प्रबंधन (संस्थान) अधिनियम, 1986 के अनुसार निवासस्थान केंद्रीय प्रबंधकों के है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधीय विनिमय ऐतिहासिक वाहनों का विविध निवेशक वाहनों के केंद्रीय प्रबंधकों वेबसाइट http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm पर उपलब्ध है।

म.प. मामले/66536/2020

सदस्य सचिव
इन्हें एक प्रबंधक व इंजीनियर के उपरांत, मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा रेलवे परिसर, हो.5, अर्जा कार्यालय, मध्यप्रदेश (M.P.)-462016

फोन न.: (0755) 2464428, 2466191, Fax: 0755-2468742

E-mail: hsmd117@gmail.com

क्रमक: 1022/भव्यीका, A.Y./2020

भव्यीका, विषयक: 02.01.2020

(ई-अपलेट प्रश्नावली, 2016)

इन्हें प्रदूषण नियमांकन बोर्ड, भव्यीका, मध्यप्रदेश, स्थापित (Producers), भव्यीका (Brand Owners), आपातक (Importers) को ई-अपलेट प्रश्नावली नियम, 2016 के अंतर्गत विवरण उपलब्ध विश्वास प्रमाण (Extended Producer Responsibility Authorization) प्रमाण के लिए उपलब्ध प्रमाण देने हेतु तैयारिक सुझाव दी जाती है कि ई-अपलेट (ई-प्रोडक्ट) नियम, 2016 में उल्लिखित नियम 9(1)(d) के प्राधिकार के अनुसार आर्द्र-र-1 में विश्वास उपकरण एवं विश्वास उपकरण के निर्माता (Producers) की उनके उपयोग की End of Life होने पर पूर्ण संतोष करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई-अपलेट (ई-प्रोडक्ट) नियम, 2016 के तहत विवरण उपलब्ध विश्वास प्रमाण (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रमाण-1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियमांकन बोर्ड के आवेदन करना एवं प्रमाण-5 में उल्लिखित प्रकाशन अनुसार नगद उपस्थिति का पालन करना अनिवार्य है। Extended Producer Responsibility Authorization अथवा उपलब्ध Producers, भव्यीका (Brand Owners), आपातक (Importers) के अधिकृत सबसे संपन्न, ई-अपलेट (ई-प्रोडक्ट) नियम, 2016 के अनुसार विवरण उपकरण की भूमिका के अनुसार जाने है अतः विवरण उपकरण के प्रदूषण नियमांकन बोर्ड से नियम 9(2) के अनुसार भव्यीका प्राप्त किया जाता अनिवार्य है।

नामांकन करने की अधिकृत (प्रोडक्ट), नहीं दिल्ली द्वारा निर्मित प्रश्नावली कमांड OA No. 515/2018 भव्यीका सहित विश्वास उपलब्धजी द्वारा, व जन्म की पताका में दिल्ली आर्द्र-र-1 के विवरण का एक प्रकाशन 'ई-प्रोडक्ट' प्रथम नियम 9(5) के ई-प्रोडक्ट (ई-प्रोडक्ट) नियम, 2016 के अनुसार अनुसार Extended Producer Responsibility Authorization ग्राहक के माध्यम से निर्मित प्रदूषण नियमांकन बोर्ड की भूमिका को जल्दि जाने। उपरांत (Producers), भव्यीका (Brand Owners), आपातक (Importers) द्वारा आवेदन नहीं करने एवं Extended Producer Responsibility Authorization ग्राहक नहीं होने पर उनके विवरण प्रवर्तन (संचार) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्यातक वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

ई-प्रोडक्ट (ई-प्रोडक्ट) नियम, 2016 के अंतर्गत विवरण निर्माता का विवरण नियमांकन बोर्ड की साथीवादी उपस्थित http://www.mppcb.nic.in/iewasteng.htm पर उपलब्ध है।
वैधानिक सूचना
(ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016)

ई-अप्लाइड एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयामक (Importers) को ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अनुसार ई-अप्लाइड नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अनुसार ई-अप्लाइड नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।

ई-अप्लाइड (प्रकरण) नियम, 2016 के अंतर्गत वित्तीय उत्पाद का विकास अथवा उपकरणों के निर्माता (Producers) को उनके उत्पादों का अनुसार दोषी होने पर पुनः संबंध जारी करने का अधिकार है।
मध्यप्रदेश दूध नियंत्रण बोर्ड
पपीरिया, इ. 5, वासा कालशी, नगर पालिका (प.प.), - 462016
फोन नं. : (0755) 2456426, 2466191, फैक्स : 0755-2463743
E-mail : bsmd117@gmail.com

रजिस्ट्री कोड 1032/भारत/उ.प-2020
पोमेल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना
(ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

ई-अपशिष्ट (ई-प्रबंधन) नियम ने उपाधि (Producer), ब्रांड स्थानीय (Brand Owners), उत्पादकों (Importers) के लिए ई-अपशिष्ट (ई-प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय वाले प्रबंधक (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करने के लिए विदेशी उद्योग के अंतर्गत सीमित विवक्षा दिन नहीं है कि ई-अपशिष्ट (ई-प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लिखित विभिन्न प्रबंधन के अंतर्गत शाखा 1 में विशेषता उद्योगों में अंतर्भवन एवं उद्योग, रियरिया के गठन का (Producer) की उन्हें उपाधियों को End of Life के नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रबंधक अंतर्गत है। इसके लिए उन्हें ई-अपशिष्ट (ई-प्रबंधन) नियम 2016 के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय वाले प्रबंधक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए गठन-1 में कंटिनी दृष्टि नियंत्रण अनुसार शाखा 1 में उल्लिखित प्रबंधन अनुसार एवं शाखा 2 में उपाधि नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रबंधक अंतर्गत है। Extended Producer Responsibility Authorization के लिए उपाधि (Producer), ब्रांड स्थानीय (Brand Owners), उत्पादकों (Importers) के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय वाले प्रबंधक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए गठन-5 में अंतर्भवन अनुसार प्रबंधन अनुसार एवं शाखा 3 में उपाधि नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रबंधक अंतर्गत है।

मध्यप्रदेश दूध नियंत्रण (प्रबंधन) नियम 2018 के अनुसार एवं दूध नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रबंधक (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए कंटिनी दृष्टि नियंत्रण अनुसार प्रबंधन के बाद नियंत्रण प्रबंधक अंतर्गत है।

ई-अपशिष्ट (ई-प्रबंधन) नियम, 2016 ने ब्रांड स्थानीय दूध तथा नियंत्रण के बाद नियंत्रण प्रबंधक अंतर्गत http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm पर उपलब्ध है।

म. प. माहिम 96326 2020

सदस्य सचिव